भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4477
28 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

पारंपरिक मछुआरों के लिए राजसहायता प्राप्त मिट्टी का तेल

4477. एडवोकेट ए. एम. आरिफ़:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पारंपरिक मछुआरों को उनके मछली पकड़ने के प्रयोजनार्थ राजसहायता प्राप्त मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश में मछुआरा समुदायों को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के निर्णय में कोई संशोधन किया है: और
(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान केरल सहित विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (घ): पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया है कि सरकार खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) द्वारा मिट्टी के तेल का आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तिमाही आधार पर करती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया है कि सरकार ने 21 अगस्त, 2012 के आदेश के तहत प्राकृतिक आपदाओं, धार्मिक समारोह, मात्स्यिकी, विभिन्न यात्राएं आदि जैसी विशेष जरूरतों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-रियायती दरों पर आवंटित पीडीएस मिट्टी के तेल के एक महीने के कोटे को प्राप्त करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश को अधिकार दिया है। गैर-रियायती पीडीएस मिट्टी के तेल की वितरण योजना संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तय की जाती है। इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने सूचित किया है कि गैर-सब्सिडी वाले पीडीएस मिट्टी के तेल का वार्षिक आवंटन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी) द्वारा किया जाता है। उपलब्ध कोटा समाप्त होने के बाद राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अतिरिक्त आवंटन की मांग कर सकते हैं।

******